Regd. No. PB/0176/2003

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 31] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 5, 2003 (SRAVANA 14, 1925 SAKA)

CONTENTS

		Pages
PART I—	Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government	441—449
PART I-A—	Notifications by Local Government Department	Nil
PART I-B—	Notifications by Commissioners and Deputy Commissioners	Nil
PART II—	Statutory Notifications of Election Commissioners of India— Other Notifications and Republications from the Gazette of India	Nil
PART III—	Notifications by High Court, Industries, Advertisements, Change of Name and Notices	99—100
PART III-A—	Notifications by Universities	Nil
PART III-B—	Notifications by Courts and Notices	Nil
PART IV—	Act, Bills and Ordinances from the Gazette of India	Nil
PART V—	Notifications by Haryana State Legislature	Nil
SUPPLEMENT PART I—	Statistics—Weather and Crop Report for the week ending 9th May, 2003; Price Current during the fortnight ending 31st May, 2003; Rainfall for the month of March, 2003; and Working Class for the month of May, 2003.	333—354
SUPPLEMENT PART II—	General—	Nil
LEGISLATIVE SUPPLEMENT PART III—	Contents	xcii
Ditto	PART I—Act	Nil
Ditto	PART II—Ordinances	Nil
Ditto	PART III—Delegated Legislation	1399—1410
Ditto	PART IV—Correction Slips, Republications and Replacements	Nil

PART—I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

राजस्व विभाग

दिनांक 8 जुलाई, 2003

क्रमांक 2882-र-3-2003/8216.—चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि, सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् गांव कलायत, उप तहसील, कलायत, जिला कैथल में उप तहसील, कलायत के कार्यालय भवन तथा

रिहायशी भवनों के निर्माण के लिए अपेक्षित है, इसके द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है।

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये की जाती है, जिनका इनसे सम्बन्ध है।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस समय, इस कार्य में लगे अधिकारियों को अपने सेवकों और कर्मकारों सहित, परिक्षेत्र में, किसी भूमि पर, परिवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात, सभी अन्य कार्य करने के लिये, इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं।

कोई हितबद्ध व्यक्ति, जिसे परिक्षेत्र में, भूमि के अर्जन के सम्बंध में, कोई आक्षेप हो, इस अधिसूचना के राजपत्र तथा परिक्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिनमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो, प्रकाशन या परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से, इनमें से जो भी बाद में हो, तीस दिन की अवधि के भीतर जिला राजस्व अधिकारी-एवं-भूमि अर्जन कलैक्टर, कैथल, जिला कैथल के सम्मुख लिखित रूप में आक्षेप, यदि कोई हो, दायर कर सकता है।

भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी-एवं-भूमि अर्जन कलैक्टर, कैथल तथा नायब तहसीलदार, कलायत के कार्यालय में किया जा सकता है।

विशिष्टियां

जिला	तहसील	गांव	हदबस्त संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	
					कनाल	मरला
1	2	3	4	5		
कैथल	कैथल	कलायत	30	307/3/2	3	8
				4	8	0
				5	6	14
				7	9	2
				8/1	3	8
					30	12
					कुल क्षेत्र : 3 एकड़ 6 कनाल 12 मरले	

सुनील आहूजा,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग ।

REVENUE DEPARTMENT

The 8th July, 2003

No. 2882-R-3-2003/8216.—Whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land specified below is needed by the Government, at public expense, for a public purpose, namely, for the construction of Sub-Tehsil, Kalayat office building and residential houses in Village Kalayat, Tehsil and District Kaithal, it is notified that the land described in the specifications below is needed for the above purpose.

This notification is made under the provisions of the Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894), for the information of all to whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor of Haryana hereby authorises the officers with their servants and workmen for the time being engaged in the undertaking, to enter upon the survey the land in the locality and to do all other acts required or permitted by that section.

Any person interested, who has any objection to the acquisition of land in the locality, may, within a period of thirty days of the publication of this notification in the Official Gazette or in two daily newspapers circulating in the locality of which at least one shall be in the regional language or publicity in the locality, whichever is later, file an objection, if any, in writing before the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Kaithal, District Kaithal.

The plans of the land may be inspected in the office of the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Kaithal or in the office of Naib-Tehsildar, Kalayat.

Specification

District	Tehsil	Village	Hadbast No.	Khasra No.	Area	
					Kanal	Marla
1	2	3	4	5	6	
Kaithal	Kaithal	Kalayat	30	307/3/2	3	8
				4	8	0
				5	6	14
				7	9	12
				8/1	3	8
					30	12
					Total Area : 3 Acres 6 Kanal 12 Marla	

SUNIL AHUJA,
Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana, Revenue Department.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर अधिसूचना

दिनांक 15 जुलाई, 2003

क्रमांक 1452-ज-2-2003/14195.—श्री सिंह राम पुत्र श्री पन्ना लाल निवासी नेहरूगढ़ (गामडी) तहसील कोसली, जिला रेवाड़ी की पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 570-ज-2-84/12494, दिनांक 3 मई, 1984 द्वारा 300/-रुपये और बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944-ज-2-93/15918, दिनांक 26 अगस्त, 93 द्वारा 1000/-रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री सिंह राम की दिनांक 3 जून, 2000 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस जागीर को श्री सिंह राम की पत्नी श्री मती सरती देवी के नाम खरीफ 2001 से 1000/-रुपये वर्षिक तथा रबी 2002 से 5000/- रुपये वार्षिक की संशोधित दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

नरेश कुमारी,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग ।